उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : 39113

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू.का अधि. अधिनियम, 2005

समक्ष : श्री योगेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता :श्री राधाकृष्ण काला, वार्ड नं0 03, सैनिक कॉलोनी गैरसैंण, जिला चमोली।

बनाम

प्रत्युत्तरदाता : 1. लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैंण, जिला चमोली।

2. प्रथम अपीलीय अधिकारी/उप जिलाधिकारी, गैरसैंण

प्रतिलिपि : 1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2.सचिव राजस्व उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3. सचिव शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4. जिलाधिकारी चमोली।

आदेशः

आज द्वितीय अपील की सुनवाई में अपीलार्थी उपस्थित हैं। लोक सूचना अधिकारी/श्री हेमन्त कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैंण उपस्थित हैं।

2. गत दिनांक 01.04.2024 को पारित आदेश का प्रस्तर–6 लगायत 7 निम्नवत है:

AG

प्रस्तर–6 उपस्थित पक्षों द्वारा आयोग के निर्देश के क्रम में गैरसैंण में अतिक्रमण का ब्यौरा तैयार किये जाने हेतु छः सदस्यीय समिति के गठन का आदेश प्रस्तुत किया गया है। हांलाकि एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के आदेश पारित किए गए थे लेकिन कार्य की अधिकता एवं चुनाव में व्यस्तता के कारण जांच समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है, अतः प्रकरण में एक अन्य अवसर देते हुए आगामी सुनवाई से पूर्व दिनांक 13.02.2024 को पारित आदेश का पालन करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

प्रस्तर–7 इस आदेश के क्रम में प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता संशोधित करते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी/उप जिलाधिकारी, गैरसैंण के पते पर आदेश प्रेषित किया जाए।

3. गत दिनांक 01.04.2024 को पारित आदेश के प्रस्तर–6 के अनुपालन में उप जिलाधिकारी गैरसैंण द्वारा अपने लिखित अभिकथन पत्र संख्या 251(1) दिनांक 10.06.2024 के माध्यम से 06 सदस्यीय टीम द्वारा की गयी निरीक्षण की आख्या प्रस्तुत की गयी। 06 सदस्यीय टीम द्वारा दिनांक 01.06.2024 को सैनिक कल्याण गैरसैंण के नाले के आस–पास हुए भूमि पर अतिक्रमण की संयुक्त रिपोर्ट मय अतिक्रमणकर्ताओं के नाम सहित रिपार्ट प्रस्तुत की गयी जो निम्नवत हैः

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्टः

आज दिनांक 01.06.2024 को श्रीमान तहसीलदार महोदय, गैरसैंण के कार्यालय पत्र संख्या 414/टी.सी.–सू0आ0 देहरादून/(2024–25) दिनांक 17.05.2024 के अनुपालन में शिकायतकर्ता श्री राधाकृष्ण काला वार्ड नं0 – 03 सैनिक कॉलोनी गैरसैंण की शिकायत पत्र पर माननीय सूचना आयोग उत्तराखण्ड के आदेश पर राजस्व निरीक्षक गैरसैंण, राजस्व उप निरीक्षक गैरसैंण, राजस्व उप निरीक्षक पज्याणा, राजस्व उप

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

AG

निरीक्षक मेहलचौरी, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गैरसैंण, अवर अभियन्ता, नगर पंचायत गैरसैंण के द्वारा राजस्व अभिलेखों के आधार पर सैनिक कॉलोनी गैरसैंण के समीप बहते हुए नाले के अगल–बगल की भूमि की जांच की गयी। जांच में पाया गया कि उक्त भूमि जो ग्राम गैड की NZA खतौनी खाता संख्या 83 जो 9(3)(5) अन्य कारणों से कृषि योग्य बंजर भूमि के खसरा नं0 959 रकबा 0.118 हे0 भूमि म0 7.50 X 5 = 37.5 वर्ग मी0 भूमि पर दुकान निर्माण किया गया है जो कि महानन्द पुत्र रबीदत्त के द्वारा कब्जा किया गया है, इसी खाते के खेत सं0 – 963 में श्री राधाकृष्ण काला के द्वारा 10 X 3.6 = 36 वर्ग मी0 पर अवैध रूप से दुकान निर्माण किया गया है तथा इसी भूमि के खसरा नं 963 रक्बा 0.131 हे0 भूमि म0 8.40 X 3.5 = 29.4 वर्ग मी0 पर श्री दिनेश काला के द्वारा भी अवैध रूप से दुकान निर्माण की गयी है।

4. प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट पर अपीलकर्ता द्वारा आपत्ति की गयी है। संयुक्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह रिपोर्ट संपूर्ण गैरसैंण में अतिक्रमण की स्थिति पर नहीं मात्र अपीलकर्ता की शिकायत में उल्लेखित क्षेत्र मात्र (सैनिक कॉलोनी) के संबंध में है। संयुक्त जांच रिपोर्ट एवं उससे संबंधित कथनों के परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि:

4.1 प्रदेश की ग्रीष्म कालीन राजधानी गैरसैंण में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। आयोग के दिनांक 13.02.2024 के निर्देश के क्रम में उप जिलाधिकारी गैरसैंण द्वारा गैरसैंण में अतिक्रमण का ब्यौरा तैयार करने हेतु तहसीलदार गैरसैंण की अध्यक्षता में छः सदस्यीय टीम तैयार की गयी।

4.2 गैरसैंण में अतिक्रमण का नगर पंचायत एवं राजस्व विभाग के पास कोई ब्यौरा नहीं है। किसी भी विभाग द्वारा अतिक्रमण चिन्हित नहीं किये गए हैं। नगर पंचायत का मानना है कि अतिक्रमण है लेकिन अतिक्रमण की सूचना नहीं है।

AG

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

4.3 गैरसैंण में अतिक्रमण रोकने एवं अतिक्रमण हटाने की कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं। गैरसैंण में अतिक्रमण के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का भी कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

4.4 उप जिलाधिकारी द्वारा गठित छः सदस्यीय टीम को संपूर्ण गैरसैंण में हुए अतिक्रमण का विवरण तैयार करना था लेकिन टीम द्वारा मात्र अपील से संबंधित क्षेत्र की रिपोर्ट प्रस्तुत कर इतिश्री कर ली गयी। संयुक्त टीम की जांच आख्या से स्पष्ट है कि आयोग के निर्देश पर संयुक्त टीम (राजस्व एवं नगर पंचायत) की जांच आख्या तैयार करने की महज खानापूर्ति की गयी है। प्रस्तुत रिपोर्ट में सरकारी भूमि अतिक्रमण किये जाने एवं अतिक्रमित भूमि पर निर्माण की पुष्टि होती है, जो इसका संकेत है कि गैरसैंण में बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी के लिखित आदेश के उपरान्त भी संयुक्त टीम द्वारा संपूर्ण गैरसैंण की रिपोर्ट तैयार न किया जाना संदेहास्पद है।

5. प्रस्तुत अपील में आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.02.2024 एवं 01.04.2024 में उप जिलाधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी गैरसैंण को सम्पूर्ण गैरसैंण में किए गए अतिक्रमण का ब्यौरा तैयार कर एक माह में उपलब्ध कराने के निर्देशित किए गए थे। उपरोक्त प्रस्तर–3 में प्राप्त संयुक्त जांच आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि उप जिलाधिकारी गैरसैंण द्वारा मात्र अपीलार्थी के निवास स्थान सैनिक कॉलोनी गैरसैंण के समीप बहते हुए नाले के अगल–बगल की भूमि की जांच की गयी। सुनवाई के दौरान उपस्थित लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2024 एवं 01.04.2024 के आदेश के क्रम में 06 सदस्यीय टीम गठित की गयी किन्तु तत्समय लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में व्यस्तता एवं समय के अभाव के कारण सम्पूर्ण गैरसैंण के अतिक्रमण का ब्यौरा तैयार नहीं किया जा सका। आयोग के निर्देश के क्रम में अपीलार्थी के निवास स्थल सैनिक

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

कॉलोनी गैरसैंण के समीप बहते हुए नाले के अगल–बगल की भूमि की जांच हो पायी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांकित 18.06.2024 के माध्यम से यह भी अवगत कराया कि वर्तमान में चारधाम यात्रा की साफ–सफाई में व्यस्तता एवं विधान सभा चुनाव की व्यस्तता के कारण सम्पूर्ण गैरसैंण के अतिक्रमण का ब्यौरा तैयार करने में अधिक समय लगने की संभावना है। अन्य कार्यो की अधिकता के कारण मात्र अपीलार्थी के अनुरोध पत्र में उल्लेखित निवास स्थान का ही निरीक्षण किया गया है जिसकी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गयी है।

6. प्रस्तुत अपील में पूर्व में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अपीलार्थी का सूचना अधिकार के अंतर्गत प्रेषित मूल अनुरोध में स्पष्ट नहीं था कि अपीलार्थी को क्या सूचना वांछित है। आयोग के पूर्व निर्देश के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जांच आख्या में अतिक्रमण करने वालों में अपीलार्थी का नाम भी शामिल है। अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण की सूचना अधिकार के अंतर्गत सूचना इसलिए चाही गयी है क्योंकि उक्त स्थल पर नाले के बांयी ओर अपीलार्थी निवासरत है तथा उक्त स्थान के खसरा नं 960 में अतिक्रमण की एक शिकायत पर पटवारी द्वारा उनका चालान किया गया, जबकि उनकी शिकायत पर पटवारी द्वारा दांयी ओर रास्ते की तरफ खसरा नं0 959 पर किये गये अतिक्रमण में चालान नहीं किया गया है।

7. लोक सूचना अधिकारी द्वारा सुनवाई में प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलार्थी तथा अपीलार्थी द्वारा जिनकी शिकायत की गयी दोनो के नाम अतिक्रमण करने वालों में शामिल हैं। अपीलार्थी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि वह यह साबित करना चाहते हैं कि उनके द्वारा की गयी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

8. उप जिलाधिकारी गैरसैंण की संयुक्त जांच आख्या में सैनिक कॉलोनी गैरसैंण के समीप बहते हुए नाले के अगल–बगल की भूमि की जांच में

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

दोनों भूमि अतिक्रमित पायी गयी है। उक्त जांच आख्या से अपीलार्थी का मंतव्य पूर्ण हो गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कार्यवाही की अपेक्षा की जा रही है। अपीलार्थी को अवगत कराया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना दिए जाने एवं दिलाने का प्राविधान है। सूचना अधिकार के अंतर्गत शिकायत पर जांच एवं कार्यवाही की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अपीलार्थी को आयोग के निर्देश के क्रम में जो जांच आख्या प्राप्त हुयी है उस आधार पर वह सक्षम न्यायालय/ अन्य सक्षम स्तर से अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

9. गत दिनांक 13.02.2024 में पारित आदेश के प्रस्तर–7 में दिए कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष पत्रांक 84 दिनांक 15.06.2024 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जो निम्नवत है:

आपके पत्र संख्या 121003 / अपील संख्या 39113 / (208)/2023–24 दिनांक 21/02/2024 के क्रम में अवगत कराना है कि अपील संख्याः 39113 श्री राधाकृष्ण काला बनाम लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैंण, जिला चमोली के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु मेरे द्वारा अपीलार्थी को मौखिक रूप से यह बताया गया था कि यह सूचना हमारे कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है व अपीलार्थी द्वारा यह कथन कहा गया कि मेरे द्वारा अन्य सूचना अधिकार का पत्र स्वयं उनके विभाग में दे दिया जायेगा एवं हमारी सूचना से अपीलार्थी संतुष्ट था लेकिन भूलवश अपीलार्थी के कथन को लिखित रूप में नहीं लिया गया जिसके क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील की गई। महोदय उक्त अपील के सम्बन्ध में भी प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहाँ मेरे द्वारा उन तथ्यों को स्वीकार किया गया है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

अतः महोदय से निवेदन है कि भविष्य में मेरे द्वारा यह गलती नहीं की जायेगी व इसे मेरी ओर से प्रथम व अन्तिम गलती मानते हुये उपरोक्त नोटिस को पत्रावलित करने की कृपा करें।

10. उपरोक्त प्रस्तर–9 में लोक सूचना अधिकारी/श्री हेमन्त कुमार गुप्ता, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गैरसैंण चमोली द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को पत्रावली का भाग बनाया गया। जिसमें उनके द्वारा खेद प्रकट करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी के कथन को लिखित में प्राप्त नहीं करने के कारण इस प्रकार की त्रुटि हुई है। **लोक सूचना अधिकारी/श्री हेमन्त कुमार गुप्ता, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गैरसैंण चमोली द्वारा अपनी गलती स्वीकार की गयी है अतः उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 13.02.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस वापस लिया जाता है तथा भविष्य के लिए चेतावनी दी जाती है।**

11. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को सुनवाई के दौरान अपने अस्पष्ट अनुरोध पत्र के क्रम में वांछित सूचना प्राप्त हुई है, प्राप्त सूचना पर अपीलार्थी द्वारा संतुष्टि भी व्यक्त की गयी है लेकिन प्रस्तुत अपील में आयोग के निर्देश का पूरी तरह अनुपालन नहीं किया गया है। प्रश्नगत अपील में स्पष्ट तौर पर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी में खुलेआम अतिक्रमण की पुष्टि हुई है। **बेहतर होता कि राजस्व विभाग एवं नगर विकास की संयुक्त टीम द्वारा आयोग के निर्देशों के क्रम में गैरसैंण में अतिक्रमण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रभावी कार्यवाही संस्तुत की जाती। संयुक्त टीम द्वारा उप जिलाधिकारी द्वारा संपूर्ण गैरसैंण का अतिक्रमण का ब्यौरा तैयार करने के निर्देश के उपरान्त मात्र अपील से संबंधित सैनिक कॉलोनी के नाले पर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने जांच टीम की मंशा पर ही सवाल खड़ा है। यह अत्यन्त गंभीर विषय है क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण आज विकराल रूप ले चुका है तथा हर स्तर पर नियोजित विकास की राह में बाधक बना हुआ है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद नगर के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया**

AG

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सत्यमेव जयते
देहरादून

में है ऐसे में वर्तमान में होने वाला अतिक्रमण भविष्य के लिए चुनौती है। गैरसैंण में अतिक्रमण को नज़रअंदाज किया जाना भविष्य के लिए सही संकेत नहीं है। गैरसैंण के भविष्य के लिहाज से वहां होने वाले अतिक्रमण को गंभीरता से लिये जाने की आवश्यकता है। प्रश्नगत अपील में संपूर्ण गैरसैंण में अतिक्रमण का ब्यौरा तैयार कराना सूचना अधिकार अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन के लिए भी आवश्यक है अतः उप जिलाधिकारी गैरसैंण एवं अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में गैरसैंण में अतिक्रमण की अद्यतन स्थिति तैयार करते हुए अभिलेख के रूप में नगर पंचायत एवं राजस्व विभाग में संरक्षित की जाए। इस आदेश की प्रति प्रदेश के मुख्य सचिव, सचिव राजस्व एवं सचिव शहरी विकास तथा जिलाधिकारी चमोली को पृथक–पृथक रूप से गैरसैंण के भविष्य के संभावित खतरों एवं चुनौतियों को संज्ञान में लाने के आशय से प्रेषित की जाए।

12. प्रस्तुत अपील में सूचना अधिकार के अंतर्गत अन्य कोई सूचना दिलाया जाना शेष नहीं है अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत द्वितीय अपील निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है।

आदेश की एक प्रति उभय पक्षों को प्रेषित की जाए।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

दिनांक 18.06.2024

उत्तराखण्ड सूचना आयोग सत्यमेव जयते देहरादून

(योगेश भट्ट)
राज्य सूचना आयुक्त

AG